



कार्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लातेहार

बालिका उच्च विद्यालय परिसर, लातेहार

फोन:- 06565-248543, फैक्स:- 06565-2248543, ई-मेल- rmsaltr@gmail.com



समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष शिक्षक (Special Educator) के चयन संबंधी विज्ञापन

राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के पत्रांक 03/RMSA-P-IEDSS-20/2016-279 दिनांक 07.06.2017 के आलोक में समावेशी शिक्षा संविदा व्यवस्था के तहत विशेष शिक्षक (Special Educator) की सेवा नियत मानदेय पर लेने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

रिक्ति विवरणी

क्र. सं.	आवेदित पद का नाम	कोटि/रिक्ति	न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता
1.	विशेष शिक्षक	कुल पद - 05 अनारक्षित 03 अनु0 जा0 01 अनु0जन0जा0 01	01. Graduate with B.Ed. (Special Education) or 02. B.Ed. (General) with one year Diploma in Special Education or 03. B.Ed. (General) with two years Diploma in Special Education or 04. B.Ed. (General) with Post Graduate Professional Diploma in Special Education (PGPD) or 05. B.Ed. Special Education and Post Graduate Professional Certificate in Special Education (PGPC) or 06. PG Diploma in Special Education (Mental Retardation) or 07. PG Diploma in Special Education (Multiple Disability : Physical & Neurological) or 08. PG Diploma in Special Education (Locomotor Impairment and Cerebral Palsy) or 09. Secondary level Teacher Training Course in Visual Impairment or 10. Senior Diploma in Teaching the Deaf or 11. B.A. B.Ed. in Visual Impairment or Any other equivalent qualification approved by RCI

पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तें :-

- स्थानीयता :- कर्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18.04.2016 एवं पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 के आलोक में संबंधित अभ्यर्थियों को लातेहार जिला का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा।
- उम्र सीमा:- कर्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप की जाएगी। आयु सीमा की गणना 01.08.2017 के आधार पर की जायेगी।
- कर्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 2020 दिनांक 09.04.2010 के अनुसार जिले के लिए लागू आरक्षण रोस्टर के अनुरूप चयन किया जाएगा। आरक्षण का लाभ मात्र लातेहार के स्थानीय निवासियों को ही देय होगा।
- चयन, वरीयता क्रम/चयन समिति के निर्णयानुसार किया जाएगा।
- चयन पूर्णतया अस्थायी होगा।
- चयन प्रक्रिया :- संबंधित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वरीयता सूची का निर्माण किया जायेगा तथा वरीयता सूची एवं लातेहार जिला में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रचलित आरक्षण रोस्टर प्रभावी होगा।
- आवेदन लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद का नाम तथा आवेदक का कोटि लिखा होना आवश्यक है।
- विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र सिर्फ निबंधित डाक द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लातेहार बालिका उच्च विद्यालय, परिसर पिन-928206 के पते पर दिनांक 25.10.2017 के अपराह्न 5:00 बजे (कार्यालय अवधि) तक प्राप्त किया जाएगा।
- डाक विभाग द्वारा किये गये विलंब के लिए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।
- आवेदन पत्रों के साथ निम्न दस्तावेज (स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

- आवासीय प्रमाण पत्र (नियोजन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उनसे ऊपर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत)
- जाति प्रमाण पत्र (नियोजन के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उनसे ऊपर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत)
- सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।



कार्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लातेहार

बालिका उच्च विद्यालय परिसर, लातेहार

फोन:- 06565-248543, फैक्स:- 06565-2248543, ई-मेल- rmsaltr@gmail.com



- माध्यमिक परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र (जन्म तिथि हेतु)।
 - अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो)।
 - आवेदन के साथ दो अतिरिक्त रंगीन पासपोर्ट साईज स्व-अभिप्रमाणित फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।
11. संबंधित क्षेत्र में कार्य किये हुए अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
 12. चयनित होने पर उन्हें जिले के किसी भी प्रखण्ड में पदस्थापित किया जाएगा, जहाँ वे माध्यमिक विद्यालयों के दिव्यांग बच्चों का शिक्षण सहयोग के साथ-साथ जिला एवं प्रखण्ड परियोजना कार्यालय द्वारा समय-समय पर आवंटित अन्य आवश्यक कार्यों का निष्पादन करेंगे।
 13. चयनित अभ्यर्थी को सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिमाह नियत मानदेय देय होगा।
 14. आदेशानुसार यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2017-18 तक ही लागू रहेगी।
 15. इस व्यवस्था के तहत कार्य हेतु रखे जाने वाले भविष्य में विशेष शिक्षक (Special Educator) पद पर स्थायी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते तथा इस आशय का शपथ पत्र लेने के उपरांत ही उन्हें कार्य पर रखा जाएगा।
 16. निर्धारित शर्तों को शिथिल, रद्द एवं संशोधन अथवा चयन प्रक्रिया को कभी भी स्थगित/निरस्त करने का अधिकार उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लातेहार में निहित होगा।
 17. अभ्यर्थियों के चयन एवं प्रतीक्षा सूची निर्माण में चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
 18. आवेदन पत्र जिला के वेबसाईट www.latehar.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
लातेहार।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
लातेहार।

6.
7.
पत्र
जिला
भाषा
क।
रीक्ष
7
प



कार्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लातेहार

बालिका उच्च विद्यालय परिसर, लातेहार

फोन:- 06565-248543, फ़ैक्स:- 06565-2248543, ई-मेल- rmsaltr@gmail.com



कार्यालय उपयोग हेतु
क्र.सं.

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्व
अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ

- आवेदित पद का नाम :
- आवेदक/आवेदिका का नाम :
- पिता/पति/अभिभावक का नाम :
- कोटि :-
- लिंग:-
- जन्म तिथि :- आयु दिनांक 01.08.2017 को वर्ष माहदिन.....
- स्थायी पता :
- जिला :.....राज्य पिन: [] [] [] [] [] []
- पत्राचार का पता :
- जिला :.....राज्य पिन: [] [] [] [] [] []
- दूरभाष/मोबाईल संख्या : []
- शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक योग्यता : (सभी प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्र० सं०	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्णता का वर्ष	विषय	कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	श्रेणी

- संबंधित क्षेत्र में यदि कोई अनुभव हो तो :-

क्र० सं०	संस्था का नाम	पदनाम	सेवा का प्रकार (सरकारी/संविदा/दैनिक)	नियुक्ति तिथि	कार्यावधि		
					वर्ष	माह	दिन

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मेरा चयन निरस्त करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक :
स्थान :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर